



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 43 राँची, सोमवार,

13 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

19 दिसम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-30/2021 का.--28781 (HRMS)--श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 35/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 1212, दिनांक- 23.03.2021 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-424/जि०ग्रा०, दिनांक- 19.02.2021 द्वारा गठित आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है। उक्त आरोप पत्र में श्रीमती टुडू के विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

(1) श्रीमती कुमुदिनी टुडू, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग के रूप में पदस्थापित रहने के दौरान वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खैरा पंचायत में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में जितने भी व्यक्ति को Semi Skilled मेट के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रियान्वित 35 डोभा एवं तालाब की योजनाओं में बिना समुचित जाँच किये लगभग रु० 18,69,850/- राशि का भुगतान किया गया है, वे ग्राम सभा में पारित सूचीबद्ध मेट नहीं हैं एवं ये सभी टाटीझरिया प्रखण्ड के निवासी भी नहीं थे। मेट के रूप में निकासी की गयी वे सभी राशि मुख्यतः 5-6 व्यक्तियों का नाम लगातार दिखाकर किया गया है ।

(2) उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक- 791/जि०ग्रा० दिनांक- 19.06.2020 के द्वारा मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रियान्वित 35 डोभा एवं तालाब की योजनाओं में लगभग रु० 18,69,850/- की अनियमितता तथा सरकारी राशि का गबन के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण श्रीमती टुडू द्वारा समर्पित नहीं किया गया ।

2(क) आरोप संख्या-1 के अंतर्गत वर्णित कागज पत्रों को श्रीमती कुमुदिनी टुडू द्वारा समय पर उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण ससमय निर्णय नहीं लिया जा सका। इसके फलस्वरूप सरकार को मो० 18,69,850/- रुपये के राजस्व की क्षति हुई ।

(3) श्रीमती कुमुदिनी टुडू, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझारिया, हजारीबाग द्वारा उक्त कार्य पर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

2. उपर्युक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक- 8014 दिनांक- 14.12.2022 के द्वारा श्रीमती टुडू से स्पष्टीकरण पूछा गया ।

उक्त के क्रम में समाहरणालय, गोड्डा के पत्रांक- 398/जि०भू०, दिनांक- 23.02.2023 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त आरोपों के संबंध में श्रीमती टुडू के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मेट का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया गया है एवं योजनाओं के संबंध में राशि का भुगतान पंचायत सचिव एवं मुखिया के द्वारा किया जाता है, अतएव इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी की कोई भूमिका नहीं है। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं पर्यवेक्षण के दौरान मामले के संज्ञान में आने के बाद उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गयी ।

3. विभागीय पत्रांक-1720 दिनांक- 22.03.2023 के द्वारा श्रीमती टुडू के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की मांग की गयी है। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक- 346/जि०ग्रा०, दिनांक- 28.02.2024 के माध्यम से सभी चार आरोपों के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। उक्त मंतव्य में उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा सभी आरोपों के संबंध में कंडिकावार श्रीमती कुमुदिनी टुडू, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझारिया, हजारीबाग द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत संतोषजनक प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

4. श्रीमती टुडू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उक्त आरोपों पर श्रीमती टुडू का स्पष्टीकरण, उक्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में कार्य दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए उनके विरुद्ध प्रस्तावित शास्ति 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड' अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक- 3739, दिनांक- 31.05.2024 के द्वारा श्रीमती टुडू से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग गयी है ।

5. श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० के द्वारा आवेदन दिनांक- 22.10.2024 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

(1) मनरेगा योजना का क्रियान्वयन पंचायत स्तर से की जा रही है, F.T.O. का कार्य पंचायत सचिव एवं ग्राम पंचायत के मुखिया क्रमशः प्रथम Signatory एवं द्वितीय Signatory है, साथ ही उल्लेख करना है कि मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 4-1009(NAREGA)/2009/ग्रा०वि०(खण्ड-II)(N)-873 दिनांक- 12.05.2016 के द्वारा मेट का चयन का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है तथा चयनित मेटों के पंजीकरण की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सेवक के माध्यम से प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को दी गयी है। मेट चयन एवं पंजीकरण में अधोहस्ताक्षरी को कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। मेट के कार्य का मूल्यांकन एवं उन पर निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपी गयी है। यदि किसी मेट के विरुद्ध मजदूर अथवा गाँव के समुदाय आधारित संगठनों से मेट के विरुद्ध शिकायत मिलने एवं मेट दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को मेट को हटाने का अधिकार प्रदत्त है। साथ ही ग्राम सभा को वार्षिक कार्य समीक्षा के दौरान मेटों के कार्यों की समीक्षा की जानी है तथा दोषी मेटों को हटाकर उनके स्थान पर नये मेटों का चयन किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा के तहत F.T.O. के लिए प्रथम एवं द्वितीय हस्ताक्षरी पंचायत सचिव एवं मुखिया होते हैं, एवं उन्हीं दोनों के हस्ताक्षर से राशि की निकासी एवं भुगतान होता है। राशि की निकासी एवं भुगतान में अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।

अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खैरा पंचायत में मनरेगा योजनाओं के तहत 35 डोभा एवं तालाब के क्रियान्वयन के क्रम में 18,69,850/- रुपये की निकासी एवं भुगतान मेरे द्वारा नहीं की गयी और न ही किसी भी मेट का चयन/पंजीकरण किया गया है। बल्कि इन कार्यों में संलिप्त कर्मियों यथा रोजगार सेवक पंचायत सेवक संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं मुखिया के द्वारा बरती गयी अनियमितता के संज्ञान में आते ही अधोहस्ताक्षरी के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अनियमित भुगतान की गयी राशि की वसूली करने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी एवं मामले की सूचना तत्काल वरीय पदाधिकारी को भी दी गयी। इस प्रकार मेरो द्वारा मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्य दायित्व का निर्वहन तत्परतापूर्वक किया, मामला संज्ञान में आते ही संबंधित को स्पष्टीकरण एवं अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली संबंधी आदेश दिया गया।

(2) मेरे कार्यकाल में टाटीझरिया प्रखण्ड के खैरा पंचायत के 35 योजनाएँ वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की उक्त योजनाओं में मो०- 14,12,145/- रुपये अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली हेतु पत्रांक- 637 दिनांक- 09.05.2018 के द्वारा संबंधित संलिप्त कर्मियों को आदेशित किया गया एवं मेरे कार्यकाल में 97,445/- रुपये की वसूली की गयी एवं मेरे स्थानांतरण के पश्चात् दिनांक- 11.07.2020 तक मो० 15,11,864/- रुपये की वसूली की जा चुकी है। इस प्रकार मेरे द्वारा मामला संज्ञान में आते ही तत्परतापूर्वक अधिक भुगतान की गयी राशि की वापसी हेतु कार्रवाई की गयी।

6. श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 35/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, उक्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य, श्रीमती टुडू के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड पर उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर की समीक्षा की गयी। श्रीमती टुडू से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य पाया गया ।

7. अतः समीक्षोपरान्त श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 35/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KUMUDINI TUDU 20060400028	श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक- 35/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
